जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 08.06.2024**

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वायरल वीडियों का संज्ञान लेकर तत्काल कार्यवाही कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 08.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों में गलत तरीके से मसाज करने वाले युवक को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर गलत तरीके से मसाज करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान कर सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

दिनांक 27.04.2024 की रात्रि में वादी श्री सरवर पुत्र मेहन्दा निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली मोटरसाइकिल लेकर कस्बा कैराना से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में रेवती इंटर कालेंज बुच्चाखेडी के पास ट्यूबैल पर खड़े 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर मोटर साइकिल को छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में दिनांक 08.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार लूट की घटनाओं में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटर साइकिल लूट की घटना में शामिल वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा अभियुक्त सन्नी व चिराग को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई व्यक्ति की हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल 01 गमछा बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 02/03.06.2023 की रात्रि में थाना आदर्शमंडी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोहरपुर में एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण व थाना प्रभारी आदर्शमंडी मय फोर्स द्वारा मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सर्विलांस सैल व फील्ड़ यूनिट की टीम ने भी मौके पर पहुँचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन किया गया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी आदर्शमंडी के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने चाचा की हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 गमछा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त आकाश ने पूछने पर बताया है कि दिनांक 02/06/2024 की रात को मैं अपने चाचा तेजवीर सिंह व अपनी दादी फुल्लो देवी के साथ गाली गलोज कर रहा था, इसी बात को लेकर मेरी व मेरे चाचा तेजवीर सिंह की आपस में कहा सुनी हो गयी थी। गुस्से में आकर मैंने अपने चाचा तेजवीर के गले में पड़े गमछे को जोर से खींच दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. आकाश पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम गोहरपुर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.आलाकत्ल 01 गमछा।

दैनिक ड्यूटी चार्ट
सन्तरी पहरा

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुघुपुरा में घर में घुसकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से जानलेवा हमले में प्रयुक्त अवैध छुरी बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 06.05.2024 को श्री मुन्तियाज पुत्र इकबाल निवासी ग्रम बुधुपुरा थाना कैराना जनपद शामली के पुत्र रिजवान पर घर मे घुसकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार वस्तु से जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ग्राम बुघुपुरा में घर में घुसकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को जानलेवा हमले में प्रयुक्त अवैध छुरी व खून से सनी सफेद चादर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.साईन पुत्र राजूल निवासी ग्राम गढी बेसक थाना सिनौली जनपद पानीपत (हरियाणा)।

बरामदगी का विवरणः-

1.जानलेवा हमले में प्रयुक्त अवैध छुरी।

2.खून से सनी सफेद चादर।